

④

**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण विकास विभाग**

पत्रांक- 278424 /

पटना, दिनांक- 18/07/16

ग्रा0वि0-5/इ0आ0यो0(मा0मंत्रीप्रतिवेदन)-102-57/2016

प्रेषक,

**विनोद कुमार,**  
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

**सभी उप विकास आयुक्त ।**

**विषय:-** इंदिरा आवास योजना अंतर्गत निर्गत नोटिस एवं वित्तीय वर्ष 1996-97 से 2015-16 तक का विवरण उपलब्ध कराने के संबंध में ।


महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इंदिरा आवास योजनान्तर्गत जिलों से प्राप्त मासिक प्रगति प्रतिवेदन के साथ कुछ जिलों को छोड़कर सामान्यतः सहायता राशि प्राप्त करने के बावजूद निर्धारित अवधि में आवास निर्माण नहीं करने वाले दोषी के विरुद्ध निर्गत नोटिस, लाल नोटिस एवं दायर नीलाम पत्र वाद से संबंधित प्रतिवेदन नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अभाव में विभागीय स्तर पर अद्यतन एवं पूर्ण आंकड़ें उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इसके आलावे वित्तीय वर्ष 1996-97 से वित्तीय वर्ष 2015-16 तक इंदिरा आवास योजनान्तर्गत भौतिक, वित्तीय एवं सहायता राशि का वितरण से संबंधित प्रतिवेदन उच्चस्तरीय समीक्षा हेतु तैयार किया जाना है ।

अतः अनुरोध है कि संलग्न विहित प्रपत्र-1 में लाभुकों के विरुद्ध निर्गत नोटिस आदि का प्रतिवेदन प्रत्येक महीने के मासिक प्रगति प्रतिवेदन के साथ निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। साथ ही संलग्न विहित प्रपत्र-2 में 1996-97 से 2015-16 तक का भौतिक एवं वित्तीय प्रतिवेदन विभाग को 15 दिनों के अंदर निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

**अनुलग्नक :- यथोक्त ।**

विश्वासभाजन,

  
(विनोद कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी

पत्रांक 278424

दिनांक 18/07/16

ग्रा0वि0-5/इ0आ0यो0(मा0मंत्रीप्रतिवेदन)-102-57/2016

प्रतिलिपी:- सभी संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
विशेष कार्य पदाधिकारी

CA- 133908//6

पीत पत्र के बदले

सचिव,  
ग्रामीण विकास विभाग,  
बिहार, पटना ।

निदेशानुसार कहना है कि माननीय मंत्री महोदय ने आरंभ से वित्तीय वर्षवार/जिलावार/प्रखंडवार इंदिरा आवास योजना का अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन से अवगत कराने का निदेश दिया है, जिससे कि आरंभ से अबतक इस मद में प्राप्त राशि एवं इंदिरा आवास सहायता प्राप्त लाभुकों के संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सके । इस हेतु एक प्रपत्र तैयार कर संलग्न किया जा रहा है । संलग्न प्रपत्र में वांछित सूचना प्राप्त कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है । साथ ही प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इस मद में व्यय की गई राशि के संदर्भ में सहायता राशि के वितरण (कॉलम-23) के साथ यदि प्रशासनिक मद में उपलब्ध आवंटन से हुये व्यय को सम्मिलित कर दिया जाय तो इंदिरा आवास मद का वास्तविक व्यय प्रतिवेदन भी प्राप्त हो सकता है । प्रखंडों एवं जिलों में उपलब्ध राशि के लिये कॉलम संख्या-24 में प्रशासनिक मद के व्यय एवं प्रत्यर्पण अथवा वापस की गई को घटा दिया जाय तो वास्तविक स्थिति से अवगत हुआ जा सकता है ।


अतः अनुरोध है कि माननीय मंत्री महोदय को इंदिरा आवास के लाभुकों के संबंध में तथा इस मद में हुये व्यय एवं जिलों में उपलब्ध राशि के संदर्भ में वस्तुस्थिति से अवगत कराने की कृपा की जाय ।

(कोशलेन्द्र कुमार)

आप्त सचिव,

मंत्री, ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य विभाग  
बिहार, पटना ।

मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग  
बिहार का कार्यालय  
सं०स-बे०न० 1032/पा०/०६  
दिनांक 6/7/16



805

Handwritten signature and initials.



